3790
10/05/2016

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक–1369, दिनांक 06.12.2007
2. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक–357 / जि0स्था0, दिनांक 29.05.2010
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–9704, दिनांक 05.11.2015

---

श्री राजबल्लभ सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–429 / 03, गृह जिला–पटना), पता– मो0–शिवपुरी, राधाकृष्ण मंदिर मार्ग, पो0+थाना–शास्त्री नगर, जिला–पटना, पिन–800023 के विरूद्ध इनके विभिन्न पदस्थापनों से संबंधित आरोपों एवं इस संबंध में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण निम्नवत् है :–

**आरोप सं0–1– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप–**

श्री विजय राम, पे0–अर्जुन राम, मेन रोड, चतरा, थाना+जिला–चतरा के द्वारा निगरानी ब्यूरो मुख्यालय में दिये गये लिखित प्रतिवेदन, जिसमें श्री राजबल्लभ सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, चतरा के विरूद्ध 1000 / – (एक हजार) रूपये घूस दाखिल खारिज रसीद काटने हेतु माँग की गयी। इसके आलोक में दिनांक 24.08.2001 को कांड के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सिंह के विरूद्ध कार्रवाई कर इनको रंगे हाथों 1000 / – (एक हजार) रूपये रिश्वत के तौर पर लिये निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया।

वादी श्री विजय राम द्वारा चतरा थाना अन्तर्गत टीकर पंचायत में खाता नं0–47, प्लाट नं0–642, रकबा–0.08 डी0 जमीन खरीदा गया था, जिसकी दाखिल खारिज केस नं0–103 / 96–97 द्वारा नामांतरण किया गया। वर्ष 96–97 एवं 97–98 में रसीद भी कटी, लेकिन वर्ष 98–99 से रसीद कटना अंचल कार्यालय द्वारा बंद कर दिया गया। अंचलाधिकारी श्री सिंह द्वारा आगे की रसदी काटने हेतु 5,000 / – (पाँच हजार) रूपये की माँग की गयी। अंततः बात 2,000 / – रूपये में तय हुई, जो दो किस्तों में एक–एक हजार करके देना था। वादी के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में निगरानी ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें सत्यापनकर्त्ता श्री दिवाशंकर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, निगरानी ब्यूरो ने

2,000/– रूपये रिश्वत की माँग को सत्य पाया। सत्यापन के उपरांत निगरानी ब्यूरो के वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार श्री सिंह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, चतरा के विरूद्ध निगरानी थाना, राँची कांड सं0–12/2001, दिनांक 23.08.2001 धारा–7/13 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 दर्ज किया गया।

निगरानी ब्यूरो धावा दल द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0सी0 नोटों का मेमोरेण्डम बनाया गया, जिसमें नोटों के नम्बर का उल्लेख किया गया। जैसे ही श्री सिंह ने वादी से रिश्वत के तौर पर पाउडर लगे नोटों को लिया एवं अपने कुरता में रखा, निगरानी धावा दल ने श्री सिंह को पकड़ लिया। इस प्रकार श्री सिंह के विरूद्ध धारा–7/13 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया।

**<u>आरोप सं0–2–</u> प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शालीग्राम, रामनारायणपुर, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–1369, दिनांक 06.12.2007 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्न आरोप लगाये गये हैं–**

(i) <u>इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता</u>– योजना सं0–307/05–06 शीला देवी, पति श्री गुलाईत सिंह, ग्राम बहेरी पंचायत कोबना का एक यूनिट इंदिरा आवास निर्माण के जांच के क्रम में पाया गया कि अयोग्य लाभुक का चयन किया गया है, जबकि लाभुक सुखी संपन्न व्यक्ति है। यह मार्गदर्शिका का उल्लंघन के साथ सरकारी राशि का दुरूपयोग का मामला बनता है।

(ii) <u>इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता</u>– योजना सं0–485/05–06 सुदेश्वर ठाकुर, ग्राम कोबना का इंदिरा आवास निर्माण। लाभुक के बयान के अनुसार बिचौलिया द्वारा अवैध राशि 6000.00 रू0 वसूल की गयी है। इस प्रकार उक्त आवास योजना निर्माण में बिचौलिया की सहभागिता पाई गई है। यह सीधे रूप से मार्गदर्शिका के उल्लंघन के साथ सरकारी राशि का दुरूपयोग का प्रकरण बनता है।

(iii) <u>इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता</u>– योजना सं0–1203/05–06 मो0 मोबिन अहमद का इंदिरा आवास निर्माण के जाँच के क्रम में अभिलेख में संलग्न फोटोग्राफ जाली पाया गया, स्पष्ट है कि जाली फोटोग्राफ लगाकर फर्जी निकासी की गई है, जो धोखाधड़ी का मामला बनता है।

(iv) <u>इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता</u>– योजना सं0–384/05–06 वकील भुईया, पिता–श्री चुन्नी भुईया, ग्राम नावाडीह का इंदिरा आवास

निर्माण के जांच के क्रम में अभिलेख में संलग्न फोटोग्राफ जाली पाया गया, स्पष्ट है कि यह धोखाधड़ी का मामला है।

(v) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता– योजना सं0–408/05–06 साबित्री देवी पति कुवंर रविदास ग्राम बांकी का इंदिरा आवास निर्माण। अभिलेख में संलग्न फोटो जाली पाया गया। यह धोखाधड़ी एवं वित्तीय गबन का मामला बनता है।

(vi) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता– योजना सं0–374/05–06 सहोदरी देवी, पति–दिलेश यादव, ग्राम–गढ़ केदली का इंदिरा आवास निर्माण। जाँच के क्रम में योजना में प्लास्टर कार्य नहीं किया हुआ पाया गया, जबकि योजना अभिलेख में संलग्न फोटो में प्लास्टर किया हुआ है, जो जाली है। यह धोखाधड़ी एवं वित्तीय गबन का मामला बनता है।

(vii) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता– योजना सं0–07/06–07, श्री राजदेव मिस्त्री, ग्राम–केदली कला का इंदिरा आवास निर्माण। जाँच के क्रम में पाया गया कि लाभुक का चयन गलत ढंग से किया गया है। अभिलेख में लाभुक को तीन किस्त राशि भुगतान दिखाया गया है, जबकि लाभुक द्वारा तृतीय किस्त की राशि मो0 8070.00 रू0 भुगतान नहीं लेने की लिखित शिकायत की गयी है। इस प्रकार प्रथम द्रष्टव्य सभी संबंधित की मिलीभगत से जालसाजी कर सरकारी राशि की निकासी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से हुआ है, प्रतीत होती है।

(viii) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता– योजना सं0–720/05–06, 623/05–06, 606/05–06, 151/06–07, 159/06–07, 150/06–07, 149/06–07, 132/06–07, 874/06–07 के अभिलेख में तथाकथित लाभुक एवं आवास के जाली फोटोग्राफ के आधार पर राशि की निकासी की गयी है।

(ix) दीनदयाल आवास योजना के तहत् योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता– दिनांक 25.10.2007 को शालीग्राम रामनारायणपुर प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दीनदयाल आवास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत/क्रियान्वित 193 एवं 06–07 की 118 कुल–311 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई है। योजनाओं की पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के डेढ़/दो वर्ष से उपर होने पर भी योजनाएँ भौतिक रूप से अपूर्ण है परंतु अधिकतर का पूर्ण होने विषयक प्रतिवेदन पहले

भेजा गया है, जो वित्तीय अनियमितता/सरकारी कार्यों में लापरवाही/शिथिलता/मनमानेपन, कार्य में उदासीनता एवं फर्जी रिपोर्ट का परिचायक है।

(x) मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दिनांक 18.09.2007 को जोरी में हुई साम्प्रदायिक तनाव की घटना, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी पूरी रात उपस्थित थे, में स्थल पर पूरी रात अनुपस्थित रहे एवं इस अवधि में उनसे सम्पर्क करने के प्रयास में पाया गया कि ये अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से गायब है एवं मोबाईल भी ऑफ है। स्पष्टतः यह सेवा संहिता के प्रतिकूल सरकारी कर्मचारी के आचरण का परिचायक है।

(xi) सक्षम पदाधिकारी के बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना– दिनांक 15.11.2007 से 18.11.2007 तक का राजपत्रित अवकाश अवधि में मुख्यालय छोड़ने संबंधी आवेदन पर बिना वरीय पदाधिकारी से स्वीकृति लिये श्री सिंह, प्र0वि0पदा0 द्वारा मुख्यालय छोड़ा गया। तत्पश्चात आरोप गठन की तिथि तक बिना किसी अनुमति से अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित है, फलस्वरूप प्रखण्ड का विकास कार्य पूर्ण रूप से बाधित है, जो सेवा संहिता के प्रतिकूल है।

(xii) नरेगा के तहत् क्रियान्वयन योजना अनियमितता– योजना सं0–22/06–07, ग्राम–हिरिंग में 153 चैनल से नौकाडीह तक हार्डसर्फेश पथ निर्माण में लाभुक समिति को किए गए भुगतान एवं मापी के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया। स्थल पर पथ के किनारे अत्यन्त निम्नप्रकार का पत्थर गिरा हुआ पाया गया। पथ की लंबाई 2.00 कि0 मी0 के विरूद्ध मात्र 1.00 कि0मी0 में मोरम बिछाई कार्य हुआ था एवं वह सभी प्राक्कलन के अनुरूप नहीं था। योजना में भौतिक सत्यापन किए बिना ही वास्तविक कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया। जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। योजना ससमय पूर्ण कराने की दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। योजना स्थल पर सूचना पट नहीं पाया गया, जो दिए गए निदेश का उल्लंघन है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, शालीग्राम रामनारायणपुर के रूप में श्री राजबल्लभ सिंह इसके लिए सीधे रूप से जिम्मेदार है।

(xiii) नरेगा के तहत् क्रियान्वयन योजना अनियमितता– योजना सं0–34/06–07, ग्राम–बलनिया में मनोज सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय तक हार्डसर्फेश पथ निर्माण में प्रथम अग्रिम 7500.00 रू0 भुगतान के पश्चात् अबतक लंबित है। बिना कार्य कराये कनीय अभियंता के द्वारा 148666.00 रू0 की मापी दर्ज की गयी है। योजना का ससमय पर्यवेक्षण